

पूर्व मध्य रेल  
(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)  
पाँचवी मंजिल, सी-ब्लॉक, मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स,  
डाक बंगला रोड, पटना – 800001

अधिसूचना सं. आरआरसी/ईसीआर/एचआरडी/एक्ट-अप्रेन्टिस/2024-25 दिनांक 25.01.2025

अधिसूचना

अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल पर शिक्षुता प्रशिक्षण (अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग) हेतु शिक्षुओं का चयन।

ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि व समय
25.01.2025	14.02.2025 23.59 बजे

शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु शिक्षुओं के चयन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में स्थित मंडलों/यूनिटों में नामित ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उपलब्ध 1154 स्लॉटों के विरुद्ध अंतिम तिथि के **23.59 बजे तक** सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1. अभ्यर्थी नोट करें और इस तथ्य को संज्ञान में लें कि पूर्व मध्य रेल के मंडलों/यूनिटों के लिए अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के तहत शिक्षुओं के चयन के लिए यह एक केन्द्रीकृत अधिसूचना है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल (आरआरसी/ईसीआर) को अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं उनकी योग्यता सूची तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अभ्यर्थी अपना आवेदन केवल आरआरसी के वेबसाइट [www.rrcecr.gov.in](http://www.rrcecr.gov.in) पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. योग्यता सूची तैयार करने के पश्चात इसे पूर्व मध्य रेल के संबंधित मंडलो/यूनिटों को सूचित किया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन एवं शिक्षुओं की चिकित्सा परीक्षा, आवेदन में यथा दर्शाए गए विकल्प के अनुसार चयनित मंडलों/यूनिटों में आयोजित की जाएगी।
3. **चयन की विधि:**
  - 3.1 शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु चयन इस अधिसूचना के अंतर्गत किसी खास मंडल/यूनिट हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर होगा। योग्यता सूची मैट्रिक (न्यूनतम 50% पूर्ण अंको सहित) एवं आई.टी.आई. परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लेकर, दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयार की जाएगी। मैट्रिक में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की गणना की जाएगी न कि किसी विषय अथवा विषय समूह के अंकों के आधार पर।

- 3.2 दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में, अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान हो, तो मैट्रिक परीक्षा में पहले उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी को प्रथम के रूप में विचार किया जाएगा।
- 3.3 शिक्षता प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन, मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में योग्य पाए जाने पर किया जाएगा।
4. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान प्रत्येक आवेदक को विशिष्ट पंजीयन संख्या जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के साथ शिक्षुओं के चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में प्रयोग/पत्र व्यवहार के लिए अपनी पंजीयन संख्या सुरक्षित रखें व नोट कर लें।  
**नोट: (1)** अंतिम क्षण की भीड़ से बचने के लिए अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से समुचित पहले अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर संभावित भारी भीड़ के कारण होनेवाली असुविधा से बच सकें।  
**नोट: (2)** ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त कारण अथवा किसी अन्य कारण से अंतिम दिन में अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये तो, उसके लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जिम्मेवार नहीं होगा।
5. अभ्यर्थियों को केवल एक ही मंडल/यूनिट का विकल्प देना है। मंडलों/यूनिटों तथा स्लॉटों की संख्या (ट्रेडवार) का विस्तृत विवरण निम्नवत है:-

(क) दानापुर मंडल

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	82	54	30	15	20	201
02	वेल्डर	05	02	01	00	00	08
03	मैकेनिक (डीजल)	18	09	05	02	03	37
04	रेफ्रिजरेशन एवं एसी मैकेनिक	32	20	11	05	07	75
05	फॉर्जर एवं हीट ट्रीटर	12	06	03	01	02	24
06	कारपेन्टर	06	02	01	00	00	09
07	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	59	38	21	10	14	142
08	पेन्टर (सामान्य)	05	01	01	00	00	07
09	इलेक्ट्रीशियन	62	39	21	10	14	146
10	वायरमैन	13	07	03	01	02	26
<b>कुल</b>		<b>294</b>	<b>178</b>	<b>97</b>	<b>44</b>	<b>62</b>	<b>675</b>

(ख) धनबाद मंडल

क्र.सं.	ट्रेड / विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	19	10	06	03	03	41
02	टर्नर	11	06	03	01	02	23
03	मशीनिस्ट	05	01	01	00	00	07
04	कारपेन्टर	03	01	00	00	00	04
05	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	20	11	06	03	04	44
06	मैकेनिक डीजल (फिटर)	08	03	02	01	01	15
07	वायरमैन	11	05	03	01	02	22
कुल		77	37	21	09	12	156

(ग) डीडीयू मंडल

क्र.सं.	ट्रेड / विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	15	10	06	03	04	38
02	वेल्डर	02	01	00	00	00	03
03	इलेक्ट्रीशियन	02	02	01	00	01	06
04	टर्नर	01	00	00	00	00	01
05	वायरमैन	01	00	00	00	00	01
06	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	04	03	02	01	01	11
07	मैकेनिक (डीजल)	02	01	01	00	00	04
कुल		27	17	10	04	06	64

(घ) सोनपुर मंडल

क्र.सं.	ट्रेड / विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	10	05	03	01	02	21
02	ब्लैकस्मिथ	04	01	00	00	00	05
03	वेल्डर	05	01	00	00	00	06
04	कारपेन्टर	05	01	00	00	00	06
05	पेन्टर	06	02	01	00	00	09
कुल		30	10	04	01	02	47

(ङ) समस्तीपुर मंडल

क्र.सं.	ट्रेड / विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	03	03	02	01	01	10
02	टर्नर	02	01	00	00	00	03
03	मैकेनिकल (डीजल)	03	03	02	01	01	10
04	इलेक्ट्रीशियन	03	03	02	01	01	10
05	इलेक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिकल	02	01	01	00	00	04
06	वेल्डर	02	01	00	00	00	03
07	पेन्टर	02	01	00	00	00	03
08	कारपेन्टर	02	01	00	00	00	03
कुल		19	14	07	03	03	46

(च) प्लान्ट डिपो/पंडित दीनदयाल उपाध्याय

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	09	06	03	02	02	22
02	मशीनिस्ट	01	01	00	00	00	02
03	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	01	00	00	00	00	01
04	इलेक्ट्रीशियन	01	00	00	00	00	01
05	मशीनिस्ट/ग्राइन्डर	01	00	00	00	00	01
06	टर्नर	01	00	00	00	00	01
07	मैकेनिक (डीजल)	01	00	00	00	00	01
कुल		15	07	03	02	02	29

(छ) सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/हरनौत

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	30	20	11	06	07	74
02	मशीनिस्ट	05	03	02	01	01	12
03	वेल्डर	07	04	02	01	02	16
04	इलेक्ट्रीशियन	05	02	01	00	00	08
कुल		47	29	16	08	10	110

(ज) यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	04	02	01	01	01	09
02	वेल्डर	04	02	01	01	01	09
03	मशीनिस्ट	04	01	01	00	00	06
04	इलेक्ट्रीशियन	02	01	00	00	00	03
कुल		14	06	03	02	02	27

संकेताक्षर

अना.— अनारक्षित, अपिव— अन्य पिछड़ा वर्ग, अजा—अनुसूचित जाति, अजजा—  
अनुसूचित जनजाति एवं इडब्लूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)।

नोट:—(1):

- निर्धारित ट्रेडों में दिव्यांगजनों (श्रवण विकलांग/दृष्टि विकलांग/अस्थि विकलांग) के लिए आरक्षण 4% होगा।
- पूर्व सैनिक/उनके बच्चों एवं सशस्त्र बल कार्मिकों के बच्चों के लिए 3% की सीमा तक आरक्षण है।
- दिव्यांगजनों एवं पूर्व सैनिकों हेतु स्लॉट पृथक नहीं है, बल्कि यह स्लॉटों की कुल संख्या में शामिल है।
- इडब्लूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) उम्मीदवार जो सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के हैं के लिए 10% आरक्षण होगा।
- अनुसूचित जाति समुदाय के अभ्यर्थियों के आरक्षित स्लॉटों के विरुद्ध उस समुदाय के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में इन स्लॉटों को

अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों के आरक्षित स्लॉटों के विरुद्ध उस समुदाय के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में इन स्लॉटों को अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्तियों से भरा जाएगा। यदि अजा/अजजा अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रशिक्षण स्लॉटों को उपर दिए गए तरीकों से भी भरा नहीं जा सकता, तो इस प्रकार खाली पड़े प्रशिक्षण स्लॉटों को वैसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा जो अजा अथवा अजजा से संबंधित नहीं हैं, अर्थात् अनारक्षित अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। इसी प्रकार, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं इडब्लूएस समुदाय हेतु आरक्षित स्लॉटों के रिक्त सीटों को अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

**नोट:-(2):**

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने आईटीआई ट्रेडो के सामने उपलब्ध प्रशिक्षण स्लॉटों के विवरण को ध्यान से देख लें तथा उसी अनुसार मंडल/यूनिट का चुनाव करें। यह नहीं होना चाहिए कि अभ्यर्थी किसी ऐसे मंडल/यूनिट का विकल्प देता हो जहाँ उसके आईटीआई ट्रेड के लिए प्रशिक्षण स्लॉट उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में, आवेदन अन्ततोगत्वा अर्थहीन हो सकता है, साथ ही, अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी प्रकार का फेरबदल करने की अनुमति नहीं है। बहरहाल, ऐसी किसी संभाविता की स्थिति में भी अभ्यर्थियों को बाद में अथवा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है, ऐसे सभी आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

**6. पात्रता की शर्तें:**

- 6.1 अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 01.01.2025 को 15 वर्ष से कम एवं 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 6.2 निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कोटियों के लिए उपरी उम्र सीमा में निम्नवत छूट अनुमेय है:—
  - i. अजा/अजजा समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्षों तक।
  - ii. अपिव समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्षों तक।
  - iii. दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए—अनारक्षित समुदाय के लिए 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए 13 वर्ष एवं अजा/अजजा समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्षों तक।
  - iv. पूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट कुल सैन्य सेवा अवधि के साथ 3 वर्षों तक होगी बशर्ते कि कम से कम छः माह की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।
- 6.3 अजा/अजजा के आरक्षण का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए केन्द्र सरकार के फार्मेट पर (अनुलग्नक -1 के अनुसार) अपने प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार, अपिव के आरक्षण का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार के फार्मेट (अनुलग्नक- 2 के अनुसार) पर दिनांक 01.04.2024 को या उसके पश्चात् जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्र एवं गैर क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.4 इडब्लूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण: वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग – एनसीएल आरक्षण योजना के अर्न्तगत नहीं आते और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय रु0 08 लाख (आठ लाख रुपया) से कम है, उनकी पहचान इडब्लूएस के रूप में की जाए, ताकि उन्हें इडब्लूएस का आरक्षण का लाभ मिल सके। आय में आवेदन किये गये वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों, यानी वेतन कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय भी शामिल होगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इडब्लूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। इडब्लूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल अनुलग्नक III में दिये गये निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा।

क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ख) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हो तथा

घ) उस क्षेत्र के उप विभागीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है (अनुलग्नक-III)

6.5 पूर्व सैनिकों अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को "कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा। पूर्व सैनिकों अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के बच्चों के मामले में उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता-पिता (यथास्थिति) का "कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र" अथवा "सशस्त्र बल सेवा प्रमाण-पत्र" (जो भी लागू हो) प्रस्तुत करना होगा।

## 7. पूर्व सैनिक :

7.1 पूर्व सैनिक कोटे हेतु लागू आरक्षण के अंतर्गत चयनित किसी पूर्व सैनिक अभ्यर्थी को संबंधित समुदाय यथा- अना/अजा/अजजा/अपिव (जिससे वह संबंधित है) एवं इडब्लूएस में रखा जाएगा। पूर्व सैनिकों, उनके बच्चों एवं सशस्त्र बल कार्मिक के बच्चों को नीचे वर्णित प्राथमिकता विवरण के अनुसार शिक्षता प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाएगा :

- (अ.) मृत/निःशक्त पूर्व सैनिकों, के बच्चे (इसमें वे पूर्व सैनिक भी शामिल है जो शांतिकाल के दौरान मारे गए/निःशक्त हुए हो।)
- (आ.) पूर्व सैनिकों के बच्चे।
- (इ.) सेवारत जवानों के बच्चे।
- (ई.) सेवारत अधिकारियों के बच्चे।
- (उ.) पूर्व सैनिक

## 8. शैक्षणिक अर्हता :

अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक/10वीं श्रेणी अथवा इसके समतुल्य परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण होना चाहिए एवं संगत ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए (अर्थात् "व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद्" द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में "राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र" अथवा "व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद्"/"व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राज्य परिषद्" द्वारा जारी अनंतिम प्रमाण-पत्र)

## 9. शुल्क का भुगतान :

9.1 आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)–₹100/–

9.2 शुल्क का ऑनलाइन भुगतान निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा:–

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पूमरे के वेबसाइट [www.rrcecr.gov.in](http://www.rrcecr.gov.in) पर हर प्रकार से एक बार ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होने पर, अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे पर जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। एक बार भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया हो, तो अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पूमरे के वेबसाइट पर पुनः वापस जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने एवं भरे हुए आवेदन को डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने भुगतान करने का प्रयास किया हो और उसे इन्टरनेट कनेक्शन की विफलता जैसी समस्या आती हो, जिसके कारण उनके खाते/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से आवेदन शुल्क की रकम की कटौती कर ली गई हो, किन्तु फिर भी आवेदन डाउनलोड करने में असमर्थ हो तो, कृपया पेमेंट गेटवे से उसे फिर से पुष्टि करने के लिए "वेरीफाई पेमेंट" बटन पर क्लिक करें।

9.3 अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि आवेदन में सभी विवरण सही-सही दर्ज हो चुके हैं, इसके पश्चात् ही अभ्यर्थियों को पेमेंट गेटवे (ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत) के माध्यम से शुल्क का भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति है। उसके पश्चात् आवेदन के विवरणों में कोई फेरबदल/संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

9.4 डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इन्टरनेट बैंकिंग इत्यादि द्वारा स्क्रीन पर माँगी गई सूचनाएं दर्ज कर भुगतान की प्रक्रिया की जा सकती है। ऑनलाइन भुगतान के लिए यदि कोई लेनदेन प्रभार हो तो उसका भुगतान अभ्यर्थियों को ही करना होगा।

9.5 भुगतान हेतु लेन-देन के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात् ई-रसीद (अभ्यर्थी द्वारा दर्ज कराये गये तिथि सहित) जनित होगा जिसे प्रिंट कर अभ्यर्थी द्वारा रख लिया जाएगा।

9.6 यदि ऑनलाइन भुगतान लेन-देन सफलतापूर्वक नहीं हो सका हो, तो पुनः लॉग-इन कर ऑनलाइन भुगतान करें।

9.7 अजा/अजजा/दिव्यांगजनों/महिला अभ्यर्थियों द्वारा किसी शुल्क के भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

## 10. दिव्यांगजनों का स्वस्थता मानक :

निःशक्त व्यक्तियों की परिभाषाएं :-

(क) **दृष्टिहीनता**: दृष्टिहीनता/अंधता का अभिप्राय उस स्थिति से है, जिसमें कोई व्यक्ति निम्नलिखित से पीड़ित हो जैसे : (i) पूर्ण दृष्टि का न होना अथवा (ii) करेंकिंग लेंसों सहित नेत्र में 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से दृष्टि न्यूनता से अधिक न हो अथवा (iii) 20 डिग्री अथवा उससे कम कोण से दृष्टि सीमा का अंतरण ।

(ख) **कम दृष्टि** : कम दृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्राय है – उपचार अथवा मानक रिफ्रेक्टिव सुधार के पश्चात भी दृष्टि में क्षीणता का होना किन्तु जो उपयुक्त सहायक यंत्र के साथ किसी कार्य की योजना बनाने अथवा उसका निष्पादन करने के लिए दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उस दृष्टि का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो ।

(ग) **श्रवण क्षीणता** : श्रवण क्षीणता से अभिप्राय है, संवाद रेंज में 60 डेसिबल या अधिक नुकसान होना ।

(घ) (i) **लोकोमोटर निःशक्तता** : लोकोमोटर निःशक्तता से अभिप्राय है – हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेशियों की निःशक्तता जिससे अंगों के संचालन में काफी अवरोध होता है अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का कोई रूप ।

(ii) **प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात** : प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से अभिप्राय ब्रेनइनसल्ट होने से, अवनॉर्मल मोटर कंट्रोल पोस्चर अथवा प्रसव-पूर्व या शिशु-विकास की अवधि में होने वाली चोटों से किसी व्यक्ति के विकास न होने की स्थितियों का एक समूह का बनना ।

(iii) अस्थि विकलांगता के सभी मामले लोकोमोटर निःशक्तता/अपंगता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के अंतर्गत आएंगे ।

(iv) बहु दिव्यांगता जैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो दो या दो से अधिक प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित हों, वे बहु दिव्यांग माने जायेंगे ।

(v) अन्य कोई, जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है ।

(ड.) **आरक्षण के लिए निःशक्तता/अपंगता की सीमा**— आरक्षण के लिए केवल ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे जो संगत निःशक्तता/अपंगता के 40% से कमतर पीड़ित न हों । आरक्षण का लाभ पाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को अनुलग्नक- IV में दिए गए फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता/अपंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(च) **सक्षम पदाधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाना** : निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम पदाधिकारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक चिकित्सा बोर्ड होगा जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे जिसमें से कम से कम एक (यथास्थिति) लोकोमोटर/प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात/दृष्टि/श्रवण निःशक्तता का निर्धारण करने के लिए उस विशेष क्षेत्र का एक विशेषज्ञ होगा ।

## 11. आवेदन कैसे करें :

11.1 अभ्यर्थियों को आरआरसी/पुमरे के आधिकारिक वेबसाइट [www.rrcecr.gov.in](http://www.rrcecr.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है।



**11.2** अभ्यर्थी आरआरसी/पूमरे के आधिकारिक वेबसाइट [www.rrcecr.gov.in](http://www.rrcecr.gov.in) पर लॉग-इन कर ऑनलाइन आवेदन और अपने वैयक्तिक विवरण/बायोडाटा सावधानीपूर्वक भरें।

**नोट-1:** अभ्यर्थी अपने पास आधार कार्ड रखें। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय 12 अंको का आधार नं0 भरें। आधार नं0 नहीं रहने पर अभ्यर्थी आधार कार्ड का दाखिला करने के पश्चात् दाखिला पर्ची पर अंकित 28 अंक को भरें। जम्मू और काश्मीर, मेघालय और आसाम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। इन राज्यों के आवेदक ऑन-लाइन आवेदन में अपना चुनाव पहचान पत्र का नं0, वैद्य पासपोर्ट नं0, ड्राइविंग लाइसेन्स नं0 या कोई अन्य वैद्य पहचान पत्र जो सरकार द्वारा ऑन-लाइन आवेदन के समय निर्गत किया गया हो का उल्लेख करें। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय मूल आधार कार्ड या उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

**नोट-2:** अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक (दसवीं) एवं आईटीआई इत्यादि में अंकों की प्रतिशतता आदि उनके मैट्रिक/आईटीआई प्रमाण पत्र में दर्ज विवरणों के अनुसार सही-सही मेल खाती है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाए गए किसी भी अंतर/परिवर्तन की स्थिति में उनकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी।

**नोट-3 :** अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आईडी दर्ज करें और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें सक्रिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ/संदेश ई-मेल/एसएमएस के द्वारा भेजे जाएंगे, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा पढ़ा गया है, माना जाएगा।

**11.3** विभिन्न विवरणों जैसे नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो/शैक्षणिक और/अथवा तकनीकी अर्हता, ई-मेल आईडी/मोबाईल नं. आदि में बदलाव कर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के ऐसे सभी आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

**11.4** अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट रखना है। योग्य पाए जाने पर उन्हें दस्तावेज-सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

## **12. स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ/फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी:**

अभ्यर्थियों को बिना टोपी और बिना धूप के चश्मे के, अपना रंगीन फोटोग्राफ (साईज 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, आवेदन की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो, जेपीजी/जेपीइजी फॉरमेट में, 100 डीपीआई क्वालिटी, फाइल साईज 20 किलोबाइट से 70 किलोबाइट के बीच) अपलोड करना है। फोटो में अभ्यर्थी का चित्र सामने से स्पष्ट दृष्टिगत होने चाहिए।

अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि अस्पष्ट/पुराने फोटो अपलोड करने अथवा अपलोड किए गए फोटो और उसकी वास्तविक रूप-रंग (आकृति) में अंतर होने पर, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, किसी भी स्तर पर उनके आवेदन/अभ्यर्थिता रद्द कर सकती है। अभ्यर्थियों को उसी फोटोग्राफ की दो अतिरिक्त प्रतियां सुरक्षित रखने की सलाह

दी जाती है, जिसकी दस्तावेज सत्यापन के समय अपने साथ लाने की आवश्यकता होगी।

**13. स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर/हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी:**

अभ्यर्थियों को अपना स्कैन्ड हस्ताक्षर (साईज 3.5 सेमी x 1.5 सेमी, जेपीजी/जेपीइजी फॉरमेट में, 100 डीपीआई क्वालिटी, फाइल साईज 10 किलोबाईट से 30 किलोबाईट के बीच) अपलोड करना है।

**14. दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:**

अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा:—

- 14.1 माध्यमिक स्कूल (10वीं स्तर) अथवा इसके समतुल्य अंक पत्र।
- 14.2 जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (10वीं स्तर अथवा इसके समतुल्य अंक पत्रक अथवा विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो)।
- 14.3 आवेदित ट्रेड के सभी सेमेस्टर (सत्रक) का समेकित अंक पत्रक/राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (अनंतिम/Provisional भी स्वीकार्य हैं) जिसमें अंक निर्दिष्ट हो।
- 14.4 "व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद" (NCVT) द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (National Trade Certificate) अथवा "व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद" (NCVT)/"व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राज्य परिषद" (SCVT) द्वारा जारी अनंतिम राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र।
- 14.5 अजा/अजजा/अविप अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, अनुलग्नक I & II जहाँ लागू हो। इडब्लूएस अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अनुलग्नक III जहाँ लागू हो।
- 14.6 दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए निःशक्तता/अपंगता प्रमाण-पत्र अनुलग्नक IV.
- 14.7 पूर्व सैनिक कोटा के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए "कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र"/"सेवा प्रमाण-पत्र"। दस्तावेज सत्यापन के दिन उपर्युक्त के अनुसार मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके बिना उन्हें दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। अंग्रेजी अथवा हिन्दी से इतर भाषाओं में जारी प्रमाण पत्र होने की स्थिति में उन प्रमाण पत्रों के साथ-साथ उनका अंग्रेजी/हिन्दी में अभिप्रमाणित अनुवाद लगा होना चाहिए।

**15. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि:**

सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 14/02/2025, के 23.59 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी/प्रिंटेड कॉपी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्राप्त हो जाने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

## 16. प्रशिक्षण अवधि एवं वृत्तिका :

16.1 केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों एवं पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान अनुदेशों के अनुसार लागू दर से शिक्षुता के दौरान वृत्तिका दी जाएगी। दरों में परिवर्तन, समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों तथा निदेशों के अनुसार किया जा सकता है।

16.2 कोई छात्रावास उपलब्ध नहीं कराई जाएगी एवं चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी (अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रावधानों के अनुसार)। प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा।

## 17. प्रशिक्षण के लिए करार :

17.1 नामित ट्रेड में शिक्षुता प्रशिक्षण के आरंभ होने से पूर्व चयनित अभ्यर्थी को सुसंगत लागू प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण करार करना होगा।

17.2 शिक्षुता नियमावली, 1992 के प्रावधानों के अनुसार, यदि शिक्षुता करार में अधिसूचित नियमों एवं शर्तों के निष्पादन में नियोक्ता की ओर से विफलता होने पर करार समाप्त कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी को यथा निर्धारित शिक्षु प्रतिकर (Apprentice Compensation) का भुगतान किया जाएगा।

17.3 शिक्षुता प्रशिक्षण समाप्ति के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने प्रतिष्ठान में नियोजन प्रदान करना नियोक्ता के लिए बाध्यकर नहीं होगा और साथ ही प्रशिक्षु भी नियोक्ता के अधीन नियोजन स्वीकार करने के लिए बाध्यकर नहीं होंगे।

17.4 यदि चयनित अभ्यर्थी अवयस्क हैं, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के साथ शिक्षुता करार करना होगा।

## 18. चिकित्सीय स्वस्थता:

18.1 अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियमावली 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत प्रशिक्षुता प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वह उपर्युक्त एक्ट के अनुसार एवं संगत ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित रेलवे चिकित्सा मानकों में न्यूनतम शारीरिक उपयुक्तता मानकों को पूरा करता है जिसे रेलवे चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

18.2 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाये गये चयनित उम्मीदवारों को दिये गये प्रोफार्मा में चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अधिकृत सरकारी डॉक्टर (राजपत्रित) द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए जो केन्द्रीय/राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए। (अनुलग्नक-V के अनुसार)

18.3 चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित चिकित्सा परीक्षा और शारीरिक स्वस्थता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को चिकित्सा जाँच शुल्क के लिए ₹24/- की धनराशि का भुगतान करना होगा।

19. हेल्प डेस्क:

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने अथवा आवेदन का प्रिंट आउट लेने में किसी भी समस्या के लिए पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक फोन सं. 0612-2200035 पर कॉल किया जा सकता है। (शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों को छोड़कर)

20. महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:

- 20.1 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति एवं चयन विधि से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
- 20.2 रेलवे में प्रशिक्षण लेने मात्र से प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों का रेलवे में उनके आमेलन किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। श्रम मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा दि. 15.07.1992 को अधिसूचित अप्रेंटिस नियमावली 1992 के अनुसूची-V के पैरा 10 के अनुसार, शिक्षुता प्रशिक्षण समाप्ति के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने प्रतिष्ठान में नियोजन प्रदान करना नियोक्ता के लिए बाध्यकर नहीं होगा और साथ ही प्रशिक्षु भी नियोक्ता के अधीन नियोजन स्वीकार करने के लिए बाध्यकर नहीं होंगे।
- 20.3 शिक्षुओं के चयन संबंधी किसी भी पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 20.4 किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी और इन मामलों में किसी भी पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 20.5 आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह पात्रता एवं अन्य मानदंडों को पूरा करता है। यदि भूलवश चयन हो भी जाती है, तो किसी भी चरण में, बिना सूचना दिए ऐसे अभ्यर्थियों को सरसरी तौर पर बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- 20.6 यदि अभ्यर्थी सत्यापन हेतु अपेक्षित मूल प्रमाण/अंक पत्रों को प्रस्तुत करने में विफल होता है अथवा उनमें कोई विसंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी।
- 20.7 यदि रेलवे प्रशासन द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने गलत/जाली/मिथ्या सूचना/ प्रमाण-पत्र दिया है तो प्रशिक्षण के लिए चयन के पश्चात् भी, बिना सूचना के, किसी भी चरण में अभ्यर्थी अथवा चयनित अभ्यर्थी को बर्खास्त करने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षित है।
- 20.8 चयनित न होने अथवा चयन हेतु नहीं बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को जवाब भेजने की रेलवे प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। प्रस्तुत किए गए आवेदनों के संबंध न तो कोई पत्र-व्यवहार स्वीकार किया जाएगा और न ही इस कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संगठन को इस संबंध में जवाब दिया जाएगा।

- 20.9 मुद्रण संबंधी किसी त्रुटि के लिए रेल प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा।
- 20.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के कोई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 20.11 अभ्यर्थियों को डाक द्वारा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को आवेदन के प्रिंट आउट, प्रमाण-पत्रों अथवा उनकी प्रतियों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों की पात्रता पर विचार केवल ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचनाओं के आधार पर किया जाएगा।
- 20.12 चयन के पश्चात् मंडल/यूनिट में परिवर्तन करने के संबंध में अभ्यर्थी के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 20.13 किसी भी विवाद की स्थिति में रोजगार सूचना के अंग्रेजी रूपान्तर को वैद्य माना जाएगा।
- 20.14 किसी भी कानूनी विवाद के लिए अधिकार क्षेत्र माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना होगा।
- 20.15 अभ्यर्थी को आरआरसी/पटना के आधिकारिक वेबसाइट के सूचना पट को हमेशा नवीनतम जानकारी हेतु देखते रहना चाहिए।

अध्यक्ष  
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ  
पूर्व मध्य रेल

**FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST**

The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India.

This is to certify that Shri\*/Shrimati/Kumari \_\_\_\_\_ Son/Daughter of  
 \_\_\_\_\_ Village/Town \_\_\_\_\_ in District/Division\*  
 \_\_\_\_\_ of State/Union Territory\* \_\_\_\_\_ belongs to the  
 \_\_\_\_\_ Caste\*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe under:

- \*The Constitution Scheduled Castes Order, 1950.
- \*The Constitution Scheduled Tribes Order, 1950.
- \*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951;
- \* The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951;
- [As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.]
- \*The Constitution (Jammu and Kashmir)\* Scheduled Castes Orders, 1956.
- \*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands)\* Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976
- \*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)\* Scheduled Castes Order, 1962.
- \*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)\* Scheduled Tribes Order, 1962.
- \*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
- \*The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.
- \*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
- \*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
- \*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
- \*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
- \*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- \*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.
- \*The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.
- \*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.
- \*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.
- \*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.
- \*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
- \*The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the \_\_\_\_\_ Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimati\* \_\_\_\_\_ father/mother\* of \_\_\_\_\_ of Shri/Shrimati/Kumari \_\_\_\_\_ of Village/Town\* \_\_\_\_\_ in/District/Division\* \_\_\_\_\_ of the State/Union Territory\* \_\_\_\_\_ who belongs to the \_\_\_\_\_ Caste\*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory\* issued by the \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

3. Shri/Shrimati/Kumari\* \_\_\_\_\_ and/or his/her\* family ordinarily reside(s) in \_\_\_\_\_ Village/Town\* \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ District/Division \_\_\_\_\_ of the State/Union Territory\* of \_\_\_\_\_.

Place \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_  
 Designation \_\_\_\_\_  
 (with seal of Office)

State/Union Territory \_\_\_\_\_

\*Please delete the words, which are not applicable. @ Please quote specific Presidential Order

% Delete the Paragraph, which is not applicable.

Note : The term 'ordinarily reside'(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of People Act, 1950.

\*\* List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificate:

1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1<sup>st</sup> Class Stipendary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.
2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar; and
4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

Note: ST candidates belonging to Tami Nadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

**OBC CERTIFICATE FORMAT****FORMAT OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES  
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA.**

This is to certify that Shri/Smt/Kum\* \_\_\_\_\_

Son/Daughter\* of Shri \_\_\_\_\_ of Village /Town \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ State belongs to \_\_\_\_\_ community

which is recognized as backward class under \_\_\_\_\_: (indicate the Sub Caste)

1. Resolution No. 12011/68/93-BCC@dtd 10<sup>th</sup> September 1993, published in the Gazette of India- Extraordinary Part-I, Section 1. No. 186 dated 13<sup>th</sup> September 1993.
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19<sup>th</sup> October 1994, published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section I. No. 163, dated 20<sup>th</sup> October 1994.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC dtd 24<sup>th</sup> May 1995, Published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section I. No. 88 dated 25<sup>th</sup> May 1995.
4. Resolution No. 12011/44/96-BCC dtd 6<sup>th</sup> December 1996, published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section I. No. 210, dated 11<sup>th</sup> December 1996.
5. Resolution No. 12011/68/93-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 129, dated the 8<sup>th</sup> July 1997.
6. Resolution No. 12011/12/96-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 164 dated the 1<sup>st</sup> Sept. 1997.
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 236 dated the 11<sup>th</sup> Dec. 1997.
8. Resolution No. 12011/13/97-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 239 dated the 3<sup>rd</sup> Dec. 1997.
9. Resolution No. 12011/12/96-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 166 dated the 3<sup>rd</sup> August 1998.
10. Resolution No. 12011/68/93-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 171 dated the 6<sup>th</sup> August 1998.
11. Resolution No. 12011/68/98-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 241 dated the 27<sup>th</sup> Oct. 1999.
12. Resolution No. 12011/88/98-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 270 dated the 6<sup>th</sup> Dec. 1999.
13. Resolution No. 12011/36/99-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 71 dated the 4<sup>th</sup> April 2000.

Shri/Smt/Kum\* \_\_\_\_\_ and / or his/her family ordinarily reside(s) in the  
\_\_\_\_\_ District of the \_\_\_\_\_ State. This is also to certify that he/she does not  
belong to the persons / sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 (of the Schedule to the Government of India, Department of  
Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93/Estt. (SCT) dated 08.09.1993) and modified vide Government of India, Department  
of Personnel and Training O.M. No. 36033/3/2004/Estt.(RES). dated 09.03.2004.

Place:  
Date:

District Magistrate/  
Dy. Commissioner etc  
(with seal of office)

- a. The term ordinarily used here will have the same meaning as Section 20 of the representation of the People Act. 1950.
- b. Where the certificates are issued by Gazetted Officers of the Union Government or State Governments, they should be in the same form but countersigned by the District Magistrate or Dy. Commissioner (Certificates issued by Gazetted officers and attested by District Magistrate/Deputy Commissioner are not sufficient).
- c. The OBC certificate from the authorities only will be accepted.
  1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector /I" Class Stipendiary Magistrate/Extra-Assistant Commissioner (not below the rank of I" Class stipendiary Magistrate)/ \*Subdivisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
  2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
  3. Revenue Officer not below the rank of Tahsildar, and
  4. Sub-Divisional officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

**Government of .....**

**(Name & Address of the authority issuing the certificate)**

**INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS**

Certificate No \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**VALID FOR THE YEAR.....**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ permanent resident of \_\_\_\_\_ Village/Street \_\_\_\_\_ Post. Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ in the State/Union Territory \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income\* of his/her family\*\* is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year \_\_\_\_\_. His/her family does not own or possess any of the following assets\*\*\* :


- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- III. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ belongs to the \_\_\_\_\_ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_



\*Notel: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

\*\*Note 2: The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

\*\*\*Note 3: The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.



**FORM OF MEDICAL CERTIFICATE FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES (PwBD)  
NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE / HOSPITAL**

Certificate No. : \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**DISABILITY CERTIFICATE**

1. This is certified that Shri / Smt. / Kum.+ \_\_\_\_\_  
Son / Daughter of Shri \_\_\_\_\_  
age \_\_\_\_\_ sex Male/Female having Identification marks as below:

\_\_\_\_\_ is suffering from permanent disability of following category:

**A Locomotor OR Cerebral palsy:**

(i) BL - Both legs affected but not arms.

(ii) BA - Both arms affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(iii) OL - One leg affected (right or left)

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(iv) OA- One arm affected (right or left)

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(v) BH - Stiff back and hips(Cannot sit or stoop)

(vi) MW - Muscular weakness and limited physical endurance.

**B Blindness or Low vision: C Hearing Impairment**

(i) B - Blind (ii) PB - Partially Blind (i) D - Deaf (ii) PD - Partially Deaf

*(Delete the category whichever is not applicable)*

2. This condition is progressive/ non-progressive / likely to improve/not likely to improve.

Re-assessment of this case is not recommended / is recommended after a period of ..... years ..... Months.

3. Percentage of disability in his/her case is ..... percent.

4. Shri/Smt./Kum ..... meets the following physical requirement for discharge of his/her duties.

(i)	F - can perform work by manipulating with fingers	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
(ii)	PP - can perform work by pulling and pushing	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
(iii)	L - can perform work by lifting	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
(iv)	KC - can perform work by kneeling and crouching	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
(v)	B - can perform work by bending	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
(vi)	S - can perform work by sitting	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
(vii)	ST - can perform work by standing	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
(viii)	W - can perform work by walking	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
(ix)	SE - can perform work by seeing	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
(x)	H - can perform work by hearing/speaking	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
(xi)	RW - can perform work by reading and writing.	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

(Signature of Doctor)  
Name:  
Registration No.  
Member Medical Board

(Signature of Doctor)  
Name:  
Registration No.  
Member Medical Board

(Signature of Doctor)  
Name:  
Registration No.  
Member Medical Board

\* Please delete the words which are not applicable.

Place:

Date:

Counter Signature of the Medical Superintendent/CMO/Head of Hospital (with seal)

Note. (i) According to the Persons with Benchmark Disability (Equal opportunities, Protection of Rights and Full participation) Rules, 1996 notified on 31.12.1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Benchmark Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), authorities to give disability certificate will be a Medical Board duly constituted by the Central or the State Government. The State Government may constitute a Medical Board Consisting of at least three members out of whom at least one shall be specialist in the particular field for assessing locomotor/hearing & speech disability, mental retardation and leprosy cured, as the case may be.

(ii) The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. For those who acquired permanent disability, the validity can be shown as permanent.

Paste here your recent colour photograph showing the disability (The photograph should be attested by the chairperson of the Medical Board)
Signature of the Candidate

## SCHEDULE-II (See rule 4)

**Medical Fitness Certificate for Standard of physical fitness  
for Act Apprentice Training in East Central Railway**

Name of the Candidate- .....

Father Name- .....

Category- .....

Date of Birth/Age- .....

Trade & Name of Workshop/Unit- .....

Permanent identification marks 1. ....

2. ....

Recent passport  
size photo as  
uploaded in  
application form

Photo to be  
attested by  
Medical Officer

SN	Standard of physical fitness	Observation of Medical Officer
1	A candidate should be free evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public. He should also be free from evidence of tuberculosis in any form, active or healed.	
2	<b><u>Height, Weight And Chest-</u></b> Candidates should satisfy the following minimum standards, namely:- HEIGHT: <u>137 centimetres</u> ; Weight: <u>25.4 Kilogram</u> ; Chest expansion should not be less than <u>3.8 centimetres</u> irrespective of size of chest: Provide that where a candidate does not satisfy the said minimum standards but is certified in writing by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon (Gazetted), to be physically fit for being engaged as an apprentice in a particular trade under the Apprentices Act, 1961, he may be engaged as an apprentice in that trade.	
3	<b><u>EYES-</u></b> There should be no evidence of any morbid condition of either eye of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation of recurrence. Standard of Vision (A) Visual acuity: *Candidates having vision in one eye shall eligible to undergo apprenticeship training except in the following seventeen trades, namely :- (1) Electrician Aircraft (2) Watch and Clock Mechanic (3) Driver cum Fitter (4) Surveyor (5) Process Cameraman (6) Sirdar (7) Rigger(Engg. & Chem. Industry) (8) Shortfirer/Blaster(Mines) (9) Mate(Mines) (10) Mech. Radio & Radar Aircraft (11) Ceramic Moduler (12) Ceramic Caster (13) Ceramic Kiln Operator (14) Ceramic Press Operator (15) Ceramic Modeller (16) Ceramic Decorator (17) Optical worker. * Substituted vide GSR 221 dated 21st April 1993. (B) Colour vision: Not required	
4	<b><u>EARS-</u></b> Hearing must be good in both ears and there should be no sign of suppurative disease. No hearing aid shall be permitted.	
5	<b><u>SKIN-</u></b> There should be no evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.	
6	<b><u>SPEECH:</u></b> Speech should preferably be without impediment.	

7	<b><u>ALIMENTARY SYSTEM:</u></b> 1. Candidates should have sufficient number of natural teeth (in healthy state) for mastication. 2. Spleen should not be palpably enlarged and there should be no evidence of tenderness in the splenic area. 3. Liver should not be palpable or tender. 4. There should be no oral sepsis. 5. There should be no sugar in the urine. 6. Candidates should not be suffering from haemorrhoids, fissures in and testis anal hernia or bubonocoele or ischio-rectal abscess or hydrocele.	
8	<b><u>CARDIO VASCULAR SYSTEM:</u></b> 1. Blood pressure should not exceed 85 diastolic and 140 systolic. 2. Candidates with low blood pressure (i.e. systolic below 100) should be rejected. 3. There should be no sign of any cardiovascular disease.	
9	<b><u>RESPIRATORY SYSTEM:</u></b> Candidates should be free from all diseases of respiratory system. There should be no deformity of chest which may cause impediment to breathing.	
10	<b><u>GENITO URINARY SYSTEM-</u></b> There should be no evidence of genito urinary disease or any abnormality.	
11	<b><u>SKELETAL SYSTEM:</u></b> 1. The function of all limbs should be within normal limits. 2. There should be no evidence of serious deformity of the spinal column or of the extremities.	
12	<b><u>NERVOUS SYSTEM:</u></b> There should be no evidence of any disease of nervous system or of any mental disease.	
13	<b><u>GLANDULAR SYSTEM:</u></b> There should be no evidence of tuberculosis or other disease of the glandular system including the endocrine glands.	

Above medical fitness certificate should be signed by Government authorised Doctor (Gaz), not below rank of Asst. Surgeon of Central/State Hospital.

Signature of Medical Officer .....

Name of Medical Officer .....

Registration No... ..

Designation .....

Name of Central/State Govt. Hospital .....

Seal of Medical Officer signing the certificate.....